

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र

संख्या :- 25/2020

अनवान तहसीलदार

बनाम

राजस्थान सरकार

तारीख हुअ	हुअ या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुअ की तारीख में जारी हुए
12.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 I.R Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1068/1197 जमाबन्दी सेगीनेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही है यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर है तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश है। ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 08-00 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>मौजा निम्बोल के खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 08-00 बीघा भूमि संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार राजकीय सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज है। पटवारी हल्का निम्बोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि उक्त खातेदारान् की उक्त भूमि मौके पर खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 08-00 बीघा भूमि पांच भागों में खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 05-02 बीघा, 1068/9 रकबा 01-00 बीघा, 1068/10 रकबा 01-00 बीघा, 1068/11 रकबा 00-12 बीघा, 1068/12 रकबा 00-06 बीघा अलग-अलग भागों में स्थित हैं, जिनकी सीमाएँ एक दूसरे से चिपती हुई नहीं हैं। तथा बीच में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। अतः उक्त 08-00 बीघा भूमि को पांच भागों में रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा। ताकि DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत वन दू वन मेपिंग तरमीम कार्य में सुविधा होगी तथा रेकर्ड भी अपडेट हो जायेगा। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जैतारण द्वारा वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का निम्बोल की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी गौर किया गया। व पाया कि रेकर्ड अपडेट करने तथा नक्शा तरमीम के लिए खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 08-00 बीघा भूमि को पांच भागों में प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 05-02 बीघा, 1068/9 रकबा 01-00 बीघा, 1068/10 रकबा 01-00 बीघा, 1068/11 रकबा 00-12 बीघा, 1068/12 रकबा 00-06 बीघा को विभाजित करते हुए इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा- निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 1068/1197 की जमाबन्दी में राजकीय सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज है। पटवारी हल्का निम्बोल, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण ने रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 08-00 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 1068/1197 रकबा 05-02 बीघा, 1068/9 रकबा 01-00 बीघा, 1068/10 रकबा 01-00 बीघा, 1068/11 रकबा 00-12 बीघा, 1068/12 रकबा 00-06 बीघा की इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>195 21/2/20</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-निम्बोल व भू.अ. निरीक्षक-निम्बोल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंभा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटाइजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदरतूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुलोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत खसरा विभाजन नाम ग्राम-निम्बोल पटवार मण्डल - निम्बोल, भू.अ.नि. - निम्बोल तहसील-जैतारण, जिला-पाली

शुद्धि की प्रविष्टि

वर्तमान खाते का विवरण		खातेदार का विवरण					
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	1068/1197	8-00	बा.दो.	1	1068/1197	5-02	बा.दो.
					1068/9	1-00	बा.दो.
					1068/10	1-00	बा.दो.
					1068/11	0-12	बा.दो.
					1068/12	0-06	बा.दो.
योग	1	08-00	बा.दो.	योग	5	08-00	बा.दो.

नोट :- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 1068/1197 को 1068/1197, 1068/9, 1068/10, 1068/11, 1068/12 में विभाजित करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्त आधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

